न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्या:– 98 / प्रा0पत्र / 2019

1. किसना आयु 75 वर्ष आत्मज सेवा जाति माली निवासी ग्राम बालोला, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।
2. नन्दा आयु 70 वर्ष आत्मज सेवा जाति माली निवासी ग्राम बालोला, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थीगण

बनाम

1. दुर्गालाल आयु 40 वर्ष आत्मज देवा जाति माली निवासी ग्राम बालोला, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
2. शोजी आयु 35 वर्ष आत्मज देवा जाति माली निवासी ग्राम बालोला, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।
3. हरलाल आयु 30 वर्ष आत्मज देवा जाति माली निवासी ग्राम बालोला, तहसील हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 212 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :– 06 / 11 / 2019

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 6185 / 5664 / 1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बालोला तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि का खातेदार वादी संख्या 1 किसना है। इसी प्रकार खसरा संख्या 6185 / 5664 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बालोला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि का खातेदार प्रार्थी संख्या 02 नन्दा है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित कृषि भूमियां के सम्बन्ध में प्रार्थीगण के द्वारा उपयोग उपभोग लेने में किसी भी व्यक्ति को बाधा डालने का अधिकार नही है। गत 4–5 वर्षो से विवादित भूमि प्रार्थीगण ने आधोली पर काश्त करने के लिए अपने भतीजों यानि कि अप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को काश्त दी हुई थी क्योकि प्रार्थीगण के खातेदारी की अन्य कृषि भूमियॉ थोडी दूरी पर है एवं प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 03 में अंकित कृषि भूमियॉ प्रार्थीगण के खातेदारी की अन्य कृषि भूमियों से दूरी पर है एवं विवादित भूमि अप्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमियों से सटवा है इसलिए प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को आधोली पर दी हुई थी। अप्रार्थीगण द्वारा गत वर्ष की फसल का हिसाब नही किया, न ही फसल दी और न ही फसल की रकम दी। अप्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई है। इसलिए प्रार्थीगण ने

गत वर्ष की फसल होने के बाद अप्रार्थीगण ने इस वर्ष उक्त भूति पर आधोली देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि इस वर्ष प्रार्थीगण अपनी भूमियों को स्वयं ही काश्त करेगे। अभी जमीन हांकने का समय आया। दिनांक 29.06.2019 को प्रार्थीगण अपनी जमीन पर हांकने गये तो पता चला कि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की वृद्वावस्था का लाभ उठाकर ताकत के बल पर इस वर्ष उनके द्वारा उक्त भूमि आधोली पर देने से इनकार करने के बावजूद अप्रार्थीगण ने दिनांक 28.06.2019 की रात में प्रार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमियों में अनाधिकृत प्रवेश कर भूमियों को हांक दिया। इस बात का प्रातः पता लगते ही अप्रार्थीगण से मना कर दिया कि खेत में मत आना, खेत को काश्त हम ही करेगे फिर भी अप्रार्थीगण ने धमकी दी कि हम तो खेत पर कब्जा करके रहेगे। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी किसना को धक्का मार कर गिरा दिया, गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट दिनांक 29.06.2019 को ही थाना हिण्डोली में कर दी थी परन्तु कोई प्रभावशाली कार्यवाही अप्रार्थीगण के विरूद्व नही होने से उनके हौसले बढे हुये है और विवादित जमीन पर कब्जा करने का आमादा हो रहे है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो उन्हे अपार क्षति होगी और वे अपनी कृषि भूमियों से महरूम हो जायेगेक। क्षति की पूर्ति किसी भी प्रकार से नही हो सकेगी। प्रार्थीगण को ऐसी स्थिति में अधिकार प्राप्त है कि वे अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वे प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित कृषि भूमियों के किसी भी भाग पर जबरन कब्जा करने का प्रयास नही करे, प्रार्थीगण के अपनी भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले और न ही अन्य से ऐसा करवाये। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस है और सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ओर अपूर्णीय क्षति की सम्भावना भी प्रार्थीगण को ही है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित कृषि भूमियों पर जबरन कब्जा करनें का प्रयास नही करे, प्रार्थीगण के कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा नही डाले और न अन्य से ऐसा करवाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी हो भी दिलायी जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जांकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया गया कि– प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित भूमियों के बाबत माननीय न्यायालय श्रीमान में बउनवान ग्यारसीबाई वगेरा बनाम किशना वगेरा वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 मय प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट में पूर्व में विचाराधीन है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है उक्त प्रार्थना पत्र की विवादित आराजी व पूर्व वाद की विवादित आराजी सेम है तथा पक्षकार भी सेंम है। तथा उक्त प्रार्थना पत्र विधि के विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया खारीज होने योग्य होने से खारीज फरमाया जावें। वास्तविक तथ्य तो इस प्रकार है खाता संख्या 24 खसरा संख्या 6185/5664 रकबा 3 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 3 बीघा वाके ग्राम बालोला पटवार हल्का अमरत्या तहसील हिण्डोली ज़िला बून्दी में स्थित है जो प्रार्थी के खाते में दर्ज है। अप्रार्थीगण के पिता व पति स्व0 श्री देवा के समय से ही उक्त विवादित आराजी भूमि पर अप्रार्थी व

अप्रार्थी के पूर्वज सेवा वल्द सेवा जो अप्रार्थीगण के पिता व पति निरन्तर रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है जो लगभग 40 वर्षो से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी मिसल संख्या 98/1987 तारीख दायरा 16.04.1987 तारीख फैसला 19.01.1988 व उगनवान नन्दा वगेरा बनाम देवा वगेरा दावा स्थाई निषेधाज्ञा खारीज किया जा चुका है। प्रार्थी का उक्त विवादित आराजी भूमि पर कोई हक व अधिकार नही है तथा प्रार्थी ने राजस्व अधिकारियों से साठ गांठ करके उक्त आराजी अपने नाम खाते दर्ज करवा ली गई है जो विधि के विरूद्व होने से प्रथम दृष्टया ही शून्य है। प्रार्थीगण उक्त भूमियों को भारग्रस्त करने पर आमादा है। तथा अप्रार्थी नें प्रार्थीगण तहसील कार्यालय में जाकर दिनांक 18.06.2019 को अधिकार घोषणा का अनुनय विनय किया तथा अपने नाम खातेदारी दर्ज करने के लिये कहा तो उक्त प्रार्थीगण ने मना कर दिया प्रार्थीगण लडाई झगडा पर आमादा हो गया। प्रार्थीगण के मन में बदनियति आ गई है तो विवादित आराजी पर अपना नाम खाते दर्ज होने का नाजायज फ़ायदा उठाकर भूमि को भारग्रस्त करना चाहते है तथा राजस्व रिकार्ड व मौका स्थिति में बदलाव करना चाहते है जिनका उसे कोई अधिकार नही है अप्रार्थी का उक्त भूमि पर निरन्तर कब्जा काश्त होने से अप्रार्थी को सुखाधिकार प्राप्त हो गये है अप्रार्थीगण उक्त भूमियों में खातेदारी अधिकार घोषणा करवाये जाने के हक व अधिकार प्राप्त हो चुके है। अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने योग्य होने से खारीज फरमाया जावे तथा सुविधा का सन्तुलन का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है।

हमने वकील पक्षकारान की बहस सुनी। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि 3 बीघा थी जो सिवायचक थी। प्रार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी में दावा संख्या 98/दावा/1987 पेश किया था जो दिनांक 19.01.1988 को नन्दा, किशना पि0 सेवा माली (प्रार्थी) का कब्जा नही मानते हुये खारिज कर दिया था। बाद में इन्होने धोखाधडी से भूमि को अपने नाम खाते दर्ज करवा लिया। उक्त भूमि प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। भूमि पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है। नियत बदलने व खातेदार दर्ज होने का फायदा उठाकर भूमि को रहन बेचान कर अप्रार्थीगण को बेदखल करना चाहते है जिनका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है। अतः जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा अपास्त की जावें।

वकील अप्रार्थी के तथ्यों का खंडन करते हुये वकील प्रार्थी ने कथन किया कि यह कह रहे है कि हमने मिलीभगत कर खातेदारी दर्ज करवा ली हैं जो कि गलत तथ्य है। भूमि पर कब्जा काश्त होने पर ही खातेदारी अधिकारी दिये जाते है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया जावें। केवल कब्जा मुखालफाना के आधार पर हमारे खातेदारी अधिकारों का विलोपन नही हो सकता है। हमने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

माननीय न्यायालयों द्वारा अधिकथित मार्गदर्शक सिद्धांतों के आधार पर अस्थाई आदेश के तीन घटक होते है, जिनमें न्यायिक विवेक का युक्तियुक्त प्रयोग आवश्यक है। ये घटक निम्नानुसार है।

1. प्रथम दृष्टिया मामला :– प्रथम दृष्टिया मामला सद्भाव पूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है जिसका गुणावगुण व अन्वेक्षण के आधार पर विनिश्चिय किया जाता है। इसलिए इसे साबित करने का भार वादी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं। प्रकरण में विवादित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर बून्दी से प्रार्थी के विरूद्व निर्णित हुआ है जिसमें प्रार्थी को खातेदार नही मानते हुये निर्णय पारित किया हुआ है। उक्त निर्णय उपरान्त प्रार्थीगण द्वारा भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना संदेहास्पद है। भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त भी नही है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों के प्रत्येक अंश पर विचार करने के बाद न्यायालय प्रथम दृष्टिया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है।
2. अपूर्णीय क्षति कारित होने की सम्भावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जब अस्थाई आदेश चाहा जाता है तो वादी को यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नहीं दिया गया तो उसे अपूर्णीय क्षति होगी पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्य सामग्री के अनुसार विवादित भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है परन्तु भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही होने से अपूर्णीय क्षति होने की संभावना प्रार्थीगण को नही है।
3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश को मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष या व्यादेश से इन्कार करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा संतुलन का निर्णय लिया जा सकता है। प्रकरण में प्रथम दृष्टिया मामला व अपूर्णीय क्षति कारित होने की संभावना प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही बनता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं प्रकरण के सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनता है। अतः न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2019 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा अपास्त (खारिज) की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे। निर्णय सरे इजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली